

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि. प्रा. (III) यो. – 16/2016–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग*।

विषय – सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रु. 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रु. 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

वर्ष 2016–17 – रु. 33460.80 लाख

वर्ष 2017–18 – रु. 73919.20 लाख

वर्ष 2018–19 – रु. 75916.50 लाख

वर्ष 2019–20 – रु. 63865.80 लाख

वर्ष 2020–21 – रु. 54433.70 लाख

2. उक्त योजनान्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित राशि का वहन निम्नांकित बजटशीर्षों से किया जायेगा –

(i) मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या–3, उपशीर्ष– 0105–अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) (विपत्र कोड–पी 4202021050105) तथा

(ii) मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष– 0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) (विपत्र कोड–पी 4202021050106)

3. उक्त स्वीकृत राशि से पटना, रोहतास, बेगुसराय, सीतामढ़ी, मधेपुरा एवं कटिहार जिला में स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा शेष 25 (पच्चीस) जिलों में प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96वि(2), दिनांक 03.01.2008 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 16.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–08 पर लिए गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दिनांक 16.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 09 पर प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा. (III) यो. - 16/2016-

971 /पटना, दिनांक- 4.4.16

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(d) 2016 -



4/4/16



सरकार के अपर सचिव

प. उ. शा. 16/16